

[Dr. Shyam Sundar Mohapatra]

through a gentleman. The police officer wrote "it is not a case of murder for gain and the file may be closed". He wrote this on 2-5-1983. Madam, is it always the case that murder should be for gain? If it is not for gain, then, should the file will be closed and the accused will be set free?

Mr. Arun Nehru, the versatile Minister for Interior wrote to me a long letter saying that this (law and order) is a State subject according to Constitution. Madam, there are innumerable cases from the time of independence where the Central Crime Branch, Central Vigilance and all Central investigating Bodies have intervened when the State agency had failed. Even in the case of Mr. Bhandare, Chief Minister of Sikkim the CBI has enquired into his conduct. It is not the fact that Central agency will not enter into the State subject.

With these words, Madam, I say, that the Home Minister may again be pleased to take up the law and order situation in the State of Orissa.

Thank you.

**Reference to the difficulties off reedom  
 fighters on account of getting facilities  
 REFERENCE TO THE ALLEGED  
 granted by the government**

श्री घनश्याम सिंह (उत्तर प्रदेश) :  
 उपसभापति महोदया, आपने मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुछ परेशानियों को जो उनको सुविधाएं प्रान्त करने में आ रहे हैं, विषय पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ ।

आजादी से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य का दबदबा था और आजादी प्राप्त करना मात्र एक सपना था । इस असम्भव बात को संभव बनाने के लिए और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इन स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपना परिवार अपना वर्तमान और अपना ज़रूर देश की स्वतन्त्रता की बलिबेदी पर चढ़ा दिया

है उन्हें यह नहीं मालूम था कि जिस राह पर वह चल रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिलेगी उनके आगे एक ही लक्ष्य था और एक ही ध्येय था ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अहिंसात्मक तरीके से लड़ना और आजादी प्राप्त करना ।

आज अगर हम स्वतन्त्र भारत में जन्मे या रह रहे हैं, फलफूल रहे हैं तथा तरक्की में दूसरे देशों से मुकाबले उठ खड़े हुए हैं यह इन स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदान का फल है इस कार्य के लिए इन सेनानियों का हम हों नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी कृणी रहेगी ।

15 अगस्त, 1972 से आदर्शपूर्ण स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने इन सेनानियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान योजना प्रारम्भ की तथा उन्होंने ने 1980 में इसे समय के अनुसार उदार बनाया और अब आदर्शपूर्ण प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने अन्य सुविधाएं भी देने की घोषणा की है जिनको लागू होने से निसन्देह सेनानियों का सम्मान बढ़ा है अब तब उपेक्षित यह श्रेणी अब प्रसन्न है परन्तु इन लोगों को अब भी इन सुविधाओं को प्राप्त करने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

यह सेनानी अधिकतर वृद्धावस्था में पहुंच गये हैं जिसके कारण ज्यादा भाग-दौड़ करने की स्थिति में नहीं हैं । इन लोगों के लगभग एक लाख प्रार्थना पत्र अब भी निर्गुण के लिये विचाराधीन पड़े हुए हैं ।

मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि इनके प्रार्थना पत्रों पर अचिलम्ब कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

हमारे उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता सेनानियों को पुत्री की शादी के लिये 3,000 रुपया सहायता के रूप में दिये जाने का प्राविधान है परन्तु यह राशि सेनानी द्वारा प्रार्थना पत्र देने के बाद भी, अक्सर शादी हो जाने के उपरान्त प्राप्त होती है जिसके कारण योजना से जो लाभ उन्हें होना चाहिए नहीं हो पा रहा है । मेरा अनुरोध है कि

प्रत्येक जनपद में इन सेनानियों की संख्या संमित है इसलिये इनके परिवार का पूरा खर्चा जोखा जिला अधिकारी के पास रहे तथा जिला-अधिकार के पास ही इस मद की स्वीकृति का अधिकार रहे तथा उन्हें यह आदेश दे दिया जाए कि समय पर आर्थिक सहायता देना जिला अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

स्वतन्त्रता सेनानियों की चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था भी की जाती है परन्तु अक्सर देखने में यह आता है जो प्रभावशाली सेनानी होते हैं उन्हें तो इस योजना से लाभ मिल जाता है अन्य को अस्पताल से दवायें मिलने में कठिनाई होती है। शासन ने इनकी सेवा करने के स्पष्ट आदेश कर रखे हैं परन्तु स्थानीय स्तर पर इसे अमल कराने के लिए प्रभावों का दम उठाने की आवश्यकता है।

शासकीय सेवाओं में इनके आश्रितों को आरक्षण के अलावा वृद्ध निःसहाय और आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त सेनानियों के लिये आवास और भोजन की व्यवस्था के लिये लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना की गई है। स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए निर्मित यह सेवा सदन एक अनाश्रालय होने का बोध कराता है। बिजली पानी की किल्लत के साथ-साथ गंदे की जगह कटी फटी रजाइयाँ बिछाई जाती हैं। आजादी की लड़ाई के समय विदेशी उत्पीड़न की परवाह किये बिना निरंतर टक्कर लेते रहे ये सिपाही इस अव्यवस्था की शिकायत इस रूप से नहीं करते हैं कि कहीं सेवा सदन के अधिकारी उन्हें वहाँ से निगाल न दें।

इन सेनानियों के निधन के बाद दाह संस्कार के लिए धन दिये जाने का प्रावधान भी हमारे यहाँ है। परन्तु अक्सर देखा यह गया है।

[ उपसभाध्यक्ष (श्री सन्तोष कुमार साहू) पीठासीन हुए। ]

दाह संस्कार हो जाता है और उसके बाद बेचारे उनके आश्रित लोग वाउचर लेकर घूमते हैं जिला अधिकारी से सहायता लेने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। जिला अधिकारियों को पहले ही से पता होना चाहिए कि

हमारे जो सेनानी हैं उनकी यह अवस्था है और ये कमा भा स्वर्ग में जा सकते हैं, जिला अधिकारी इस बात को निगाह में रखें।

और आवश्यकता इस बात की है कि जब किसी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का निधन हो तो जिला अधिकारी स्वयं अथवा अपनी तहसिल के पत्रना मजिस्ट्रेट को आदेश दें कि वे सम्मान के साथ उनके दाहसंस्कार की व्यवस्था करें। अगर ऐसा किया जाएगा तो शायद इस समस्या का कुछ हद तक निवारण संभव है। इसके लिए अभी जो रुपये दिये जाते हैं उनका लाभ भी इन लोगों को ही मिल पाता है। उस धन का इस्तेमाल ठीक प्रकार से समय पर हो सके, इसलिए व्यवस्था की जानी चाहिए और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

#### REFERENCE TO THE DEVELOPMENT OF KAKINADA AS A MAJOR PORT

SHRI B. KRISHNA MOHAN (An-dhra Pradesh): Sir, may I, with your permission, bring to the notice of the Government about the long standing demand and absolute need Of development of Kakinada minor Port in Andhra Pradesh as a major port. To justify my contention and also the State Government's contention, proposal as was sent to the Government of India and most of the MPs from Andhra Pradesh met the Prime Minister and submitted a memorandum also.

The port of Kakinada, a sheltered anchorage harbour is the Principal sea port amongst the minor ports under the control of Andhra Pradesh State Government. This is acclaimed as the safest natural open anchorage port on the east coast of India and with the present available facilities, about 10 ships can be handled simultaneously at this port throughout the year.

Recently the traffic at the port of Kakinada had picked up remarkably, increasing by about 18 fold from what it was in 1950-51. While the traffic handled during 1970-71 was about half a million tonnes, the traffic has doubled within the past ten years and the port is handling more than a million tonnes of cargo an-